the profitability from the by-products and ensure their long-term off-take.

(b) At present the projects under consideration are a Caprolactum Plant based on the by-products benzene and ammonia, and a Slag -Cement Plant based on the by-product blast furnace slag, both in the joint sector. The details regarding viability are yet to be finalised.

दिल्ली में नये राशन कार्ड बनाये जाने के नियम

2845. **श्री सुनील कुमार पटनायक :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में नया राशन कार्ड प्राप्त करने के लिए आवेदक को किन-किन नियमों का पालन करना पड़ता है और आवेदन पत्र के साथ किस प्रकार का कागजात संलग्न करना पड़ता है ;

(ख) क्या सरकार इस संबंध में समय-समय पर दैनिक समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित करने का विचार रखती है ताकि जो इस सामाजिक तत्व नियमों का लगातार उल्लंघन करते रहे हैं और जो निरीक्षकों के नाम पर घूस वसूल करते रहे हैं उनसे नागरिकों के हितों की सुरक्षा की जा सके और उन्हें ऐसी बुरी प्रथाओं के कारण पेश आने वाली वित्तीय परेशानियों से बचाया जा सके ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और क्या समाचार-पत्रों में विज्ञापन दिये जाने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) दिल्ली में नया राशन कार्ड प्राप्त करने के लिए किसी आवेदक द्वारा किन नियमों का पालन करना होता है तथा कौन से कागजात आवेदन-पत्र के साथ लगाने होते हैं, उनका ब्यौरा **संलग्न विवरण में दिया गया है । (नीचे देखिए)**

(ख) से (घ) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि खाद्य कार्ड जारी करना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कोई नया नीति संबंधी निर्णय नहीं है, जिसकी समाचार-पत्रों के माध्यम से प्रचार किए जाने की आवश्यकता हो । सर्किल खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारियों को पहले ही सलाह दी जा चुकी है कि वे संलग्न विवरण में दिए गए अनुदेशों को सूचना-पट्टों पर प्रदर्शित करें और इन सूचना-पट्टों को आवेदकों के मार्गदर्शन के लिए अपने कार्यालयों में प्रमुख स्थानों पर रखें ।

विवरण

दिल्ली प्रशासन द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार, स्थायी खाद्य कार्ड वास्तव में पक्के मकान में रहने वाले आवेदक को उसके वहां वैध रूप से रहने का सत्यापन करने के बाद जारी किया जाता है । जिन मामलों में आवेदक दस्तावेजी-साक्ष्य जैसे किराए की रसीद आवंटन पत्र के साथ कार्ड वापिस करने/नाम कटाने का प्रमाणपत्र, बिजली का बिल पानी का बिल, टेलीफोन का बिल, मकान-कर की रसीद, गैस कनैक्शन अथवा मकान मालिक से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करता है, वहां आवेदन फार्म प्राप्त होने के एक घंटे के भीतर उसे, बाद में सत्यापन किए जाने की शर्त के साथ स्थायी खाद्य कार्ड जारी कर दिया जाता है ।

जिन मामलों में, परिसर पर आवेदक का वास्तविक अधिकार है, परन्तु फिर भी वह उपर्युक्त में से कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करने में अक्षम है तो उसे स्थायी खाद्य कार्ड आवेदन-फार्म की प्राप्ति के बाद, सर्किल खाद्य और आपूर्ति अधिकारी द्वारा मौके पर उपर्युक्त जांच करने, जिसमें पड़ोस में रहने वाले दो स्वतंत्र गवाहों के बयान रिकार्ड करना शामिल है, के बाद 72 घंटे के भीतर उसके निवास स्थान पर देना होता है ।